कल्चरली अधिक बैकवर्ड है । इसलिए आरक्षण नीति में इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । आरक्षण के लिए SC's की सब-कास्ट्स के सब ग्रुप्स बनाना जरूरी है ।

आध्रं प्रदेश और अन्य सदन स्टेट्स में SC's की कुछ मेजर सब-कास्ट्स, जैसे मादिगा, सबसे बैकवर्ड है माला और अन्य कास्ट के मुकाबले कहीं ज्यादा सोशल इन्जस्टिस की शिकार है । कुछ स्टेटस में ऐसी सब-कास्ट्स को भी शैडयूल्ड कास्ट में शमिल किया गया है । जिनसे छूआछूत नहीं किया जाता है । कई स्टेटस में इन्हीं सब-कास्ट्स का अदर बैकवर्ड कास्ट्स माना जा रहा है । आजादी से पहले की रियासतों की तरह आज भी अलग-अलग स्टेटस मे इस मामले में अलग-अलग स्थिति है । 1984 मे जब इंडियन कांस्टिटयूशन का ड्राफ्ट बना था, तब सभी राज्यों में शैडयूल्ड कास्ट्स को एक यूनिट मान लिया गया था । आंध्र प्रदेश मे एससीज की दो मेजर सब-कास्ट्स है, माला और मादिगा और अन्य 57 सब-कास्ट्स है । इनका ए,बी सी एंव डी ग्रुप्स में क्लासीफिकेशन किया गया था, जो सन् 2000 से 2004 तक यानि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे खत्म किए जाने तक लागू रहा ।2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे यह कह कर खत्म कर दिया था कि ऐसा क्लासिफिकेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स एम्पावार्ड नहीं है ?

इन चार सालों में मादिगा और इसकी कई अन्य सब-कास्ट्स के स्टुडेंट्स को भी प्रोफेशलन कॉलेजिज में भारी पैमाने पर सीट्स मिली, नौजवानों को भारी पैमाने पर जॉब्स मिलें, प्रोमोशन मिले, जिसकी कल्पना वे बिना क्लासिफिकेशन के अलग 50 सालों में भी नही सकते थे । ये सारे फैक्ट्स रिकॉर्ड में हैं । शैडयूल्ड कास्ट के सब ग्रुप्स को अपनी सोशल बैक्वर्डनेस और आबादी के प्रोपोर्शन के मुताबिक रिजर्वेशन में अपना वाजिब हिस्सा मिल सके, इसके लिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्टैट गवर्नमेंट को रिजर्वेशन के पर्पज मे अपनी एससी आबादी के सब-ग्रुप्स बनाने के लिए एम्पावर करने के लिए शीघ्र जरूरी कांस्टीटयूशनल एमेंडमेंट बिल लांए ।

Concern over Naxalite Violence in Chhattisgarh

श्री गोपाल व्यास (छत्तीसगढ़) : माननीय उपसभापति जी, संसद मे मैं पहली बार आया हूं और आपने मुझे विशेष उल्लेख करने का अवसर दिया है ,इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मेरा विषय नक्सली हिंसा है, जिसका उल्लेख अभी-अभी माननीय गृह मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किया था ।

माननीय उपसभापति जी, मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूं । वहां नित्य की बाता हो गई है । अभी 13मई को भी बस्तर में चार लोग मरे व पांच घायल हुए है । सरकार समस्या से निपटने का प्रयास कर रही है । बस्त के स्थानीय बंधुओं ने स्वंय भी एक अभूतपूर्व प्रतिकार आंदोलन चलाया है, जिसे वहां की सरकार संरक्षण दे रही है और प्रतिपक्ष के नेता का भी समर्थन

है। वह बस्तर के ही है। यह हिंसा और अराजकता भारत के अनके राज्यों मे व्याप्त है। स्थिति की गंभीरतता को देख कर माननीय गृह मंत्री जी ने संबधित राज्यों की बैठक ली है। इस प्रवृत्ति को कोई बंगाल मे उदित कूछ बातों से, कोई आन्ध्र से तो कोई नेपाल वे श्रीलंका से जोड़ते है। तो कोई बांग्लोदशी घुसपैठ का भी अनुभव करत है। कोई उसे राजनैतिक वादों से भी जोड़ते है, मैं आज इन विवादों मे नहीं पड़ना चाहता, परन्तु मुझे लगता है कि इस हिंसा की समस्या को रोकने के लिए केन्द्र सरकार को सक्रिय कदम उठाने चाहिए तथा इस कार्यमें सभी राजनैतिक दलों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री रूद्रनारायण पाणि (उडीसा): सर, मैं इस विशेष उल्लेख का समर्थन करता हूं।

Concern over Lack of Discipline in the Security Force and Police Personnel

श्री अजय मारू (झारखंड)ः उपसभापति महोदय, हाल मे सुरक्षा बलो और पुलिसकर्मियों से संबधित कुछ आंकड़े समाचार पत्रों मे प्रकाशित हुए है। एक सपोर्ट के अनुसार गत् वर्ष, यानी 2005 में दिल्ली पुलिस के 6 सीआरपीएफ के 13 तथा अन्य सुरक्षा बलों 24 से अधिक जवानों ने आत्महत्या कर ली। ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि सुरक्षा बल के किसी जवान ने अपने साथी या वरिष्ठ अधिकारी को गोली मार कर खुदकुशी कर ली।

एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 743 पुलिस कर्मियों पर आपराधिक मामलों मे लिप्त रहने के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं। इनमे कांस्टेबल से लेकर अधीक्षक तक के पुलिसकर्मी सम्मिलित है। इसमें से कई पर डकैती, हत्या, बलात्कार तथा जबरन वसली के मामले चल रहे हैं। मुम्बई तथा अन्य शहरों में पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार के कई मामले सामने आएं है।

इन दोनों रिपोर्टों से यदि यह निष्कर्ष निकाला जाए कि हमारे सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के तरीके और काम करने के माहौल में जबर्दस्त खामियां है, तो गलत नहीं होगा। कुछ मनोवैज्ञानिकों को कहना है कि इन पवृत्त्यिोः के पीछे तनाव व हताशा एक बड़ा कारण है ।पुलिस पर अध्ययन करने वाले जस्टिस जी.डी. खोसला ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि कई-कई घंटे डयूटी देने के बाद पुलिसकर्मी तनाव ग्रस्त होकर विभिन्न विकृतियों के शिकार हो सकते हैं। उन्होनें स्थिति में सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे।

यह एक अत्यंत गंभीर मसला है, क्योंकि जिन पर कानून-व्यवस्था ठीक रखने का दायित्व है, यदि उनमे ही अपराध करने की भावना जागृत हो जाएगी तो इसके परिणामों की सहज कल्पना की जा सकती है। अतः इस पूरे विषय को अत्यंत गंभीरता लेने और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।